न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या –109/2016 (अपील)

1. बजरंगलाल आत्मज श्री रामलाल जाति धाकड निवासी नयामतखेडी, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)
2. मोहरलाल आत्मज श्री हीरालाल जाति धाकड निवासी नयामतखेडी, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––अपीलांट

बनाम

1. रतनलाल आत्मज श्री गणेश जाति चमार निवासी नयामत खेडी, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 11.12.2019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी के सम्बन्ध में प्रकरण सं0 1/2016 में दिनांक 10.06.2016 को पारित निर्णय "उक्त विवादित आराजी प्रार्थी के खाते की भूमि है, जिस पर अप्रार्थीगण ने ख0नं0 0.15 हे0 पर मोहरलाल पुत्र हीरालाल धकड़ तथा उक्त ख0नं0 के 0.05 हे0 पर बजरंगलाल पुत्र रामलाल धाकड निवासी नयामतखेडी का अवैध कब्जा पाया जाता है । अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अवैध कब्जा अविधिकरूप से किया है । अतः उक्त विवादित आराजी में अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाता है । भू–अभिलेख निरीक्षक पटवारी हल्का को पालना हेतु पत्र जारी हो ।" बाबत आदेश किया गया ।
2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता से यह अपील दिनांक 23.06.2016 को इस न्यायालय में पेश की गई है कि अप्रार्थीगण अपीलांट्स के कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नं0 508 रकबा 0.80 हे0 एवं खसरा नं0 509 रकबा 0.04 हे0 वाके ग्राम नयामतखेडी, तहसील रामगंजमण्डी स्थित है जिस पर अपीलांट्स अपने पिता के समय से ही कब्जे काश्त में चले आ रहे है, रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का उक्त विवादग्रस्त आराजीयात पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, प्रार्थी रेस्पो0 काश्तकार की श्रेणी में नहीं आते है, ख0नं0 508 के दक्षिण की तरफ अप्रार्थी अपीलांट के खाते की भूमि स्थित है तथा खसरा नं0 509 रकबा 0.04 हे0 भूमि रास्ते की भूमि है, वर्षो से प्रार्थी का विवादित

Scanned by CamScanner

आराजीयात पर कब्जा काश्त नहीं है । राजस्व अभियान शिविर मुकाम ग्राम पंचायत धरनावद में मजमे आम लोगों की पूछताछ पर जानकारी प्राप्त कर अप्रार्थी अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है जो न्यायिक निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है । अप्रार्थीगण अपीलांट के विरूद्व एकतरफा आदेश पारित कर विवादित आराजीयात से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया जो विधि न्याय संचिता में प्रस्तुत न्यायिक सिद्वांतों के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर गौर नहीं किया गया कि प्रार्थी रेस्पो0 का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा रहा हो तथा प्रार्थी रेस्पो0 ने अपने जीवनकाल में विवादित भूमि पर कभी काश्त की हो । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अभियान में केवल जनता की राय लेकर जल्दबाजी में निर्णय कर दिया गया, उक्त निर्णय न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है इसलिए निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.6.2016 निरस्त फरमाने की कृपा करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये, नोटिस बाद तामिल प्राप्त, किन्तु रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थि रहा, ना ही रेस्पो0 की ओर से कोई वकील उपस्थित हुआ । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई एवं रेस्पोडेन्ट के अनुपस्थित रहने की स्थिति में वकीय अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों के तथ्यों को दौहराते हुए जाहिर किया कि अप्रार्थीगण अपीलांट्स के कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नं0 508 रकबा 0.80 हे0 एवं खसरा नं0 509 रकबा 0.04 हे0 वाके ग्राम नयामतखेडी, तहसील रामगंजमण्डी स्थित है जिस पर अपीलांट्स अपने पिता के समय से ही कब्जे काश्त में चले आ रहे है, रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का उक्त विवादग्रस्त आराजीयात पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, प्रार्थी रेस्पो0 काश्तकार की श्रेणी में नहीं आते है, ख0नं0 508 के दक्षिण की तरफ अप्रार्थी अपीलांट के खाते की भूमि स्थित है तथा खसरा नं0 509 रकबा 0.04 हे0 भूमि रास्ते की भूमि है, वर्षो से प्रार्थी का विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त नहीं है । राजस्व अभियान शिविर मुकाम ग्राम पंचायत धरनावद में मजमें आम लोगों की पूछताछ पर जानकारी प्राप्त कर अप्रार्थी अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है जो न्यायिक निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है । अप्रार्थीगण अपीलांट के विरूद्व एकतरफा आदेश पारित कर विवादित आराजीयात से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया जो विधि न्याय संचिता में प्रस्तुत न्यायिक सिद्वांतों के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर गौर नहीं किया गया कि प्रार्थी रेस्पो0 का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा रहा हो तथा प्रार्थी रेस्पो0 ने अपने जीवनकाल में विवादित भूमि पर कभी काश्त की हो । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.6.2016 निरस्त किया जावें ।
5. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । चूंकि रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित है तथा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं

Scanned by CamScanner

किया है, ऐसी स्थिति में इस अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है । अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी के निर्णय दिनांक 10.06.2016 के विरूद्व दिनांक 23.6.2016 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.6.2016 में खातेदार रतन आत्मज श्री गणेश जाति चमार निवासी ग्राम नयामतखेडी के नाम खातेदारी से दर्ज भूमि ख0 नं0 508 की 0.15 हे0 भूमि पर मोहनलाल पुत्र हीरालाल धाकड़ का एवं इसी खसरा नम्बरा की 0.05 हे0 भूमि पर बजरंगलाल पुत्र रामलाल धाकड नि0 नयामतखेडी का अवैध कब्जा माना है, राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2070–2070 के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त भूमि का खातेदार रतन आत्मज गणेश जाति चमार है । अपीलांट द्वारा उक्त अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर कब्जा किस आधार पर किया हुआ है स्पष्ट नहीं कराया है तथा कब्जे के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर अपना स्वामित्व मानना विधि विरूद्व है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन प्रतीत होती है तथा तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.6.2016 में कोई दोष नहीं पाते है, इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय के जैर अपील आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

6. परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आधारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.06.2016 अन्तर्गत धारा 183–बी आर0टी0एक्ट यथावत रखा जाता है ।
7. निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर,
कोटा

Scanned by CamScanner